मॉड्यूल 4: किशोर न्याय बोर्ड

सत्र 2: कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रिया

अवधि: 3:45 मिनट

मॉड्यूल 4 के सत्र 2 में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे।

सत्र के अन्त तक आप यह वर्णन कर पाएंगे कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से सम्बंधित, छोटे–मोटे अपराधों तथा गंभीर एवं जघन्य अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन स्तर पर तथा किशोर न्याय बोर्ड की क्या प्रक्रियाएं हैं।

आप अन्य संबंधित प्रक्रियाओं का भी वर्णन कर पाएंगे।

आईए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्यपद्धति की समझ विकसित करें।

पहले चरण में हम यह समझेंगे कि शिकायत किए जाने के बाद क्या होता है। इस समझ में कार्यपद्धति किशोर न्याय अधिनियम की धारा 10 और 13 के द्वारा निर्धारित होती है।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित कार्यवाही का फ्लो–चार्ट

- कानून का उल्लघंन करने के आरोपित बच्चे को पुलिस विशेष किशोर पुलिस/इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा हिरासत में लेना धारा 10 (1))
- छोटे–मोटे अपराध या गंभीर अपराध के लिए
- जघन्य अपराध के लिए–
- पुलिस सामान्य दैनिक डायरी में शिकायत दर्ज करेगी और किशोर न्याय बोर्ड को सूचित करेगी –नियम 8 (1))
- विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना –नियम 8 (1))
- पुलिस तुरन्त माता–पिता/अभिभावक को तथा जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सूचित करेगी –नियम 8 (3) धारा 13 (1)
- पुलिस द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए सूचित करना तथा दो सप्ताह के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करना।
- हिरासत में लिए गए अपराध करने के आरोपित बच्चे को पुलिस या किशोर न्याय बोर्ड सशर्त या बिना शर्त के जमानत पर रिहा कर सकती है या परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रख सकते हैं सेक्शन 12 (1)।

- जब इस तरह के कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाता तब, जब तक वह बच्चा 24 घण्टे में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नहीं लाया जाता, और उपयुक्त आदेश नहीं प्राप्त कर लिया जाता उसे अवलोकन गृह में भेज दिया जाता है। (धारा 12 (2) और नियम 8 (3) (1))
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या केस वर्कर बच्चे के साथ रहेंगे (धारा 10 (1) और नियम 8 (2))